(5)

नेशनल लोक अदालत जिला जबलपुर खंडपीठ क्र0.24

**(पीठासीन अधिकारी –कु0 उर्मिला यादव,
सदस्य अष्ठम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,जबलपुर)**

(कु. उर्मिला यादव)
सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (अष्टम्)
जबलपुर (म.प्र.)

Registration No.	MACC 2354/2021
Filling No.	MACC 3855/2021
CNR No.	MP20010-15087-2021
Date Of Institution	08/06/2021

सुरेश भूमिया विरुद्ध पुष्पेन्द्र सोनी व अन्य

::: अधिनिर्णय :::
(दिनांक 12.03.2022 को पारित)

आज दिनांक 12.03.2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में इस खंडपीठ के समक्ष **आवेदक सुरेश भूमिया पिता गेंदलाल भूमिया उम्र 32 वर्ष** व अनावेदक बीमा कंपनी– .इफको–टोक्यो जन.इं.कं. लिमि. के अधिवक्तागण ने उपस्थित होकर इस आशय का राजीनामा आवेदन पेश किया कि उनके मध्य **4,40,000/– (चार लाख चालीस हजार रूपये मात्र)** में राजीनामा हुआ है। यह राजीनामा पक्षकारों के हित एवं विधि के अनुरूप है। उभयपक्ष द्वारा स्वस्थ, मानसिक दशा में स्वतंत्र सहमति से राजीनामा किया जाना व्यक्त किया गया है। अतः विचारोपरांत राजीनामा आवेदन स्वीकार कर निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

1. अनावेदक बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के रूप में **.4,40,000/– (चार लाख चालीस हजार रूपये मात्र) दो माह के अन्दर अष्ठम** मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जबलपुर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाता क्र0.**519302010004226 IFSC Code UBIN0551937** में **RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा कर न्यायालय को सूचित करे।
2. दो माह की अवधि में राशि जमा किये जाने में व्यतिक्रम किये जाने पर बीमा कंपनी अधिनिर्णीत राशि पर **6%** (छः प्रतिशत) प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी।
3. आवेदक के लिये यह अनिवार्य होगा कि अधिनिर्णीत राशि के भुगतान के पूर्व अधिकरण के समक्ष पासबुक की फोटोप्रति एवं आधार कार्ड प्रस्तुत किये जाने की दशा में आवेदक के खाते में **RTGS/NEFT** अंतरित की जावेगी व्यतिक्रम किये जाने की दशा में ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
4. ~~संबंधित न्यायालय का अभिलेख अविलंब वापस भेजा जावे।~~
5. उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
6. अधिनिर्णय डिजीटल हस्ताक्षर कर नियमानुसार सी.आई.एस. में अपलोड किया जावे।

सदस्य अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (अष्टम) जबलपुर (म.प्र.)

श्रीमती राधा साहू सदस्य खंडपीठ क्र.–24 नेशनल लोक अदालत	श्रीमती प्रीति सिंह राजपूत सदस्य खंडपीठ क्र.–24 नेशनल लोक अदालत	उर्मिला यादव पीठासीन अधिकारी खंडपीठ क्र.–24 नेशनल लोक अदालत